



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 42]
No. 42]

नई दिल्ली, अक्टूबर 22—अक्टूबर 28, 2017, शनिवार/आश्विन 30—कार्तिक 6, 1939
NEW DELHI, OCTOBER 22—OCTOBER 28, 2017, SATURDAY/ASVINA 30—KARTIKA 6, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. 349.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सशस्त्र सीमा बल (आर्डिनेंस सेवा) समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल (आर्डिनेंस सेवा) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- सशस्त्र सीमा बल (आर्डिनेंस सेवा) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

| | |
|--|---|
| | immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. |
| | Note 3: The maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding Fifty Six years as on the closing date of receipt of applications. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|--|
| (12) | (13) |
| 1. Group –‘B’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Additional or Joint Development Commissioner (Administration) - Chairman (2) Deputy Director (Handicraft) - Member (3) Under Secretary or equivalent officer as nominated by the Ministry of Textiles, Department of Handicrafts -Member 2. Group –‘B’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:— (1) Additional or Joint Development Commissioner (Administration) - Chairman (2) Deputy Director (Handicraft) - Member (3) Under Secretary or equivalent officer as nominated by the Ministry of Textiles, Department of Handicrafts -Member | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

[F. No. A- 50011/19/2015-(Admn.)]

ARUN KUMAR YADAV, Director (Handicraft)

Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to these rules.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)
नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. 357.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, कृषि विज्ञानी और फार्म अधीक्षक, समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों में सस्य विज्ञानी और फार्म अधीक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, सस्य विज्ञानी और फार्म अधीक्षक, समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपायद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उमसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम (1) | पद की संख्या (2) | वर्गीकरण (3) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4) | चयन या अचयन पद (5) |
|------------------|---|--|--|-----------------------|
| 1. सस्य विज्ञानी | 1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसूचित | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 11 (67,700-2,08,700 रुपए) | चयन |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा (6) | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं (7) | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं (8) | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो (9) | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता (10) |
|--|---|---|--------------------------------------|--|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) |

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (44,900-1,42,400 रु.) में ऐसे फार्म अधीन जिनमें उम स्तर में 7 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा सहित कृषि विज्ञान में बैचलर डिग्री या कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री हो और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि संबंधी समस्याओं और यांत्रिक खेती के क्षेत्र में 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर -10 (56,100-1,77,500 रु.) या समतुल्य वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर -8 (47,600-1,51,100 रु.) या समतुल्य वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 6 वर्ष नियमित सेवा की हो; या

(iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर -7 (44,900-1,42,400 रु.) या समतुल्य वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो; अर्थात् :-

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री

(ii) केंद्रीय या राज्य सरकार के विभागों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों से कृषि विज्ञानी समस्याओं से संबंधित 3 वर्ष का व्यावहारिक या अनुसंधान अनुभव।

वांछनीय :

यांत्रिक खेती में 2 वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1 : पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उमी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| | |
|---|---|
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
| (12) | (13) |
| समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : | पद पर नियुक्ति करते समय प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |
| 1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग | - अध्यक्ष |
| 2. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग | - सदस्य |
| 3. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग | - सदस्य |
| 4. निदेशक/उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग | - सदस्य |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--------------------|---|--|--|-----|
| 2 फार्म अधीक्षक | 2* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (44,900-1,42,400 रुपए) | चयन |

| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|----------------|----------------|----------------|---------|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) |

| (11) |
|--|
| <p>प्रोन्नति:</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500-81,100 रु.) में ऐसे कृषि सहायक जिन्होंने उस स्तर में 15 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि संबंधी समस्याओं और यंत्रीकृत खेती के क्षेत्र में 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों वा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -</p> |

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर -6 (35,400-1,12,400/- रु.) या समतुल्य वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो;

आवश्यक:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री
- (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों से कृषि विज्ञानी समस्याओं से संबंधित 2 वर्ष का व्यावहारिक या अनुसंधान अनुभव।

वांछनीय:

यंत्रीकृत खेती में 1 वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| (12) | (13) |
|--|---|
| समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |
| 1. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग | - अध्यक्ष |
| 2. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग | - सदस्य |
| 3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग | - सदस्य |
| 4. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान | - सदस्य |

[फा. सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशा.)(भाग-5)]

अश्विनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

New Delhi, the 5th October, 2017

G.S.R. 357.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institutes, Agronomist and Farm Superintendent, Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Agronomist and Farm Superintendent in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institutes, Agronomist and Farm Superintendent, Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post |
|---------------|---|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Agronomist | 01* (2017) * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial. | Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) | Selection |

| Age-limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Two years | By promotion failing which by deputation (including short-term contract). |

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made

(11)

Promotion:

Farm Superintendent in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with seven years regular service in the level and possessing Master's degree in Agriculture or Bachelor's degree in Agriculture with post graduate degree or diploma in Agronomy from a recognised University or Institute and have successfully completed four weeks of training in the field of agronomical problems and mechanised farming from Indian Council for Agricultural Research or State Agricultural Universities or Krishi Vigyan Kendra.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short- term contract):

Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or Recognised Research Institutions or Councils or Semi-Government or autonomous or statutory organisations:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with six years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iv) with seven years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :-

Essential:

- (i) Master's degree in Agronomy from a recognised University or Institute;
- (ii) three year's practical or research experience in agronomical problems from Central or State Government departments or Union territory administrations or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or recognised research institutions or Councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations.

Desirable :

Two years' experience in mechanised farming.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|--|
| (12) | (13) |
| Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- | Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion. |
| (1) Chairman/ Member, Union Public Service Commission : Chairman | |

| | | |
|-----|--|--|
| (2) | Additional Secretary (Mechanisation and Technology : Member Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare | |
| (3) | Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), : Member Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare | |
| (4) | Director/Deputy Secretary (Mechanisation and : Member Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------------------------|---|---|--|-----------|----------------|
| 2. Farm Superintendent | 2* (2017) * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non- Ministerial. | Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900- 142400) | Selection | Not applicable |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|----------------|----------------|-----------|--|
| Not applicable | Not applicable | Two years | By promotion failing which by deputation (including short term contract) |

| (11) |
|--|
| <p>Promotion:</p> <p>Agricultural Assistant in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with fifteen years regular service in the level and have successfully completed four weeks of training in agronomical problems and mechanised farming from Indian Council for Agricultural Research or State Agricultural Universities or Krishi Vigyan Kendra.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short- term contract):</p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or recognised research institutions or semi-Government or autonomous or statutory organisations:-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Master's degree in Agronomy from a recognised University or Institute;</p> <p>(ii) two years practical or research experience in agronomical problems in Central Government or State Government departments or Union territory administrations or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or recognised research institutions or Councils or semi-Government or autonomous or statutory organizations.</p> |

10

Desirable:

One year experience in mechanised farming.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

| (12) | (13) |
|--|---|
| Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Joint Secretary, (Mechanisation and Technology Division), - Chairman Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology - Member Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology - Member Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member | Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary. |

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) (Pt. V)]

ASHWANI KUMAR, Jr. Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. 358.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 पद) भर्ती नियम, 1964 को, जहां तक इनका संबंध ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेखा-सह भंडार अधिकारी और प्रशासनिक-सह-क्रय और विक्रय अधिकारी के पदों से है, को अधिक्रान्त करते हुए तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम, 1981 को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेखा-सह-भंडार अधिकारी, प्रशासनिक-सह-क्रय और विक्रय अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेखा-सह-भंडार अधिकारी, प्रशासनिक-सह-क्रय और विक्रय अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुप्रयोग.—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2018/पौष 13, 1939

No. 05]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2018/PAUSHA 13, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 6 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और

1. कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी, प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित) तकनीकी पद भर्ती नियम, 2015 ; और

2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, ज्येष्ठ उपकरण इंजीनियर (समूह 'क' तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2016, को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित) तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित) तकनीकी पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदत्त होंगे।

2. लागू होना: ये नियम इन नियमों में उपावद्ध अनुसूची के मंत्र (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों में उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वास्तव, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में लेवल | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|--|----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. निदेशक *कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (मुख्यालय) में तैनात होने पर पदधारी को उप आयुक्त (एम एंड टी) के पद पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। | 6* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसूचित) | वेतन मैट्रिक्स में लेवल -12 (78800-209200 रुपए) | चयन | लागू नहीं होता |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|---|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | (i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके त हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है; (ii) 50 प्रतिशत पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है |

13

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग में परामर्श किया जाएगा |
|---|---|--|
| (11) | (12) | (13) |
| <p>प्रोन्नति:-वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (67700-208700/- रु.) में ऐसे ज्येष्ठ कृषि इंजीनियर और ज्येष्ठ इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियर जिन्होंने उस लेवल में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या किसी कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रैक्टरों सहित कृषि उपकरणों और मशीनों के ऑपरेशन या मरम्मत और रखरखाव या डिजाइन विकास, उत्पादन, प्रशिक्षण और परीक्षण के क्षेत्र में 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण 1 : संबंधित लेवल या पद में विहित अर्हत सेवा वाले अधिकारियों द्वारा पूरा किए जाने की तारीख के प्रतिनिवेश से प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची तैयार की जाएगी।</p> <p>टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -11 (67700-208700/- रु.) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस लेवल में 5 वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं; अर्थात् :-</p> | <p>समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <p>1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष</p> <p>2. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</p> <p>3. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</p> | <p>संघ लोक सेवा आयोग में परामर्श करना जब किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति आवश्यक है उस समय (जिसे अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त किया जा रहा हो।</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री ;</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों से ट्रेक्टरों सहित कृषि उपकरणों और मशीनों के ऑपरेशन या मरम्मत और रखरखाव या डिजाइन विकास और परीक्षण के किसी भी क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण - 1: पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण - 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संबिदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संबिदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | | |
|--|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|------------|---|
| <p>2 ज्येष्ठ कृषि इंजीनियर ज्येष्ठ</p> <p>* कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (मुख्यालय) में तैनात होने पर पदधारी को सहायक आयुक्त (एम एंड टी के पद पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।</p> | <p>13* (2017)</p> <p>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p> | <p>साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुमचिवीय)</p> | <p>वेतन मैट्रिक्स में लेवल -11</p> <p>(67700-208700 रूपए)</p> | <p>चयन</p> | <p>40 वर्ष से अधिक नहीं।</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों में आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के नद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए, विहित की गई है।) |
|--|--|--|--|--|---|

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|--|--|--|--|
| <p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री ; और</p> <p>(ii) किसी सरकारी या निजी सूचीबद्ध संगठन में शिक्षण अनुभव सहित ट्रैक्टरों, कृषि मशीनरी और संबद्ध उपकरणों के संचालन और रखरखाव का 5 वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>सरकारी या निजी सूचीबद्ध संगठन में स्वतंत्र रूप से फार्म मशीनरी और कृषि यंत्रों का परीक्षण तथा मूल्यांकन कार्य का 5 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> | <p>आयु ; नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हता; हां</p> | <p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष</p> | <p>(i) 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा;</p> <p>(ii) 60 प्रतिशत पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके तहत हो सकने पर सीधी द्वारा</p> |

| (11) | (12) | (13) |
|---|--|---|
| <p>प्रोन्नति:-</p> <p>वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 (56100-177500/- रु.) में ऐसे परीक्षण इंजीनियर जिन्होंने उस लेवल में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 (44900-142400/- रु.) में ऐसे कृषि</p> | <p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष 2. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, | <p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग में परामर्श करना आवश्यक है।</p> |

इंजीनियर जिन्होंने उम लेवल में 7 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्र में टैक्टरों, कृषि मशीनरी और महत्वपूर्ण उपकरणों के ऑपरेशन, रखरखाव, मरम्मत, प्रशिक्षण और परीक्षण में 4 मप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण - 1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण - 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -10 (56700-177500/- रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उम श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -7 (44900-142400/- रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उम श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

टिप्पण - 1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,

सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य

3. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग),

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य

4. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य

विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :

1. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष

2. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग),

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य

3. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य

| | | |
|--|--|--|
| <p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण - 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | | |
|--|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------------------------------------|--|--|--|-----|----------------|
| 3. ज्येष्ठ इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियर | 01* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय) | वेतन मैट्रिक्स में लेवल -11 (67700-208700 रुपए) | चयन | लागू नहीं होता |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|----------------|----------------|----------------|------------------|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति द्वारा |

| (11) | (12) | (13) |
|--|---|--|
| <p>प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 (56100-177500/- रु.) में ऐसे इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियर जिन्होंने उस लेवल में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1: परंतु संशोधित नियम की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोपक श्रेणी पद अर्थात् कृषि इंजीनियर (इंस्ट्रुमेंटेशन) का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के संबंध में पात्रता सेवा वहीं रहेगी जैसा कि 2001 की पूर्ववर्ती अधिमूचित नियम में उपबंध है।</p> <p>टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के</p> | <p>समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य | <p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p> |

| | | |
|---|--|--|
| आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। | | |
|---|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----------------------------|---|--|--|-----|---|
| 4. इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियर | 3* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपवित, (अननुसचिवीय) | वेतन मैट्रिक्स में लेवल -10 (56100-177500 रुपए) | चयन | 35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो अमम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|--|--------------------------------------|---|---|
| आवश्यक : (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरी में डिग्री ; (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिपदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों से स्वतंत्र रूप से स्वचालित मापन और नियंत्रण करने, स्ट्रेन गेज चलाने, माउंड और वाइब्रेशन उपकरणों के चलाने आदि और इलैक्ट्रॉनिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों | आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हताएं: हां | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | (i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ; (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>को लगाने की निपुणता और रखरखाव का 3 वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>(ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी या इंड्रूमेंटेशन इंजीनियरी में डिग्री ;</p> <p>(ii) किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिपदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों से स्वतंत्र रूप से स्वचालित मापन और नियंत्रण करने, स्ट्रेन गेज चलाने, साउंड और वाइब्रेशन उपकरणों के चलाने आदि और इलैक्ट्रानिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों को लगाने की निपुणता और रखरखाव का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>आई.सी. ईजन के परीक्षण और निकास उत्सर्जन मापन प्रणाली उपकरण संचालन का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> | | | |
|--|--|--|--|

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|--|
| <p>प्रोन्नति:-</p> <p>वेतन मैट्रिक्स में लेवल- 7 (44900-142400/- रु.) में ऐसे कृषि इंजीनियर (इंड्रूमेंटेशन) जिन्होंने उन लेवल में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनमें ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ</p> | <p>समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष 2. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किमान कल्याण विभाग - सदस्य 3. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किमान कल्याण विभाग - सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं | <p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगनी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदें या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -8 (47600-151100/- रु.) या समतुल्य में उस लेवल में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -7 (44900-142400/- रु.) या समतुल्य में उस लेवल में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पाम स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।</p> <p>टिप्पण - 1 पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण - 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उमी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | <p>तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - मदस्य</p> <p>समूह छ विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - मदस्य 3. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - मदस्य | |
|--|---|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------|--|
| 5. परीक्षण इंजीनियर | 1* (2017) कार्यभार के आधार पर | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', | वेतन मैट्रिक्स में लेवल -10 (56100-177500) | लागू नहीं होता | 35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के |

| | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|-------|--|---|
| | परिवर्तन किया जा सकता है। | राजपत्रित, (अननुमचित्रीय) | रूपण) | | अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |
|--|---------------------------|------------------------------|-------|--|---|

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|----------------|---------|---|
| <p>आवश्यक :</p> <p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि इंजीनियरी में डिग्री ;</p> <p>2. किसी सरकारी संगठन या विश्वविद्यालय या निजी मूचीबद्ध संगठन से कृषि उपकरणों के परीक्षण या मूल्यांकन में 3 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय</p> <p>यंत्रीकृत खेती व्यवसाय का दो वर्ष का प्रयोगिक अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुमूचित जातियों और अनुमूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> | लागू नहीं होता | एक वर्ष | <p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>टिप्पण: पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या परिपदे या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी।</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 (47600-151100/- रु.) में या समतुल्य पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की हो;</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 (44900-142400/- रु.) में या समतुल्य पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास मंत्र (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के</p> |

92

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। |
|--|--|--|--|

| (11) | (12) | (13) |
|----------------|---|---|
| लागू नहीं होता | <p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य | प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------------------------------------|---|--|---|-----|---|
| 6. कृषि इंजीनियर (इंस्ट्रुमेंटेशन) | 2* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, (अननुसचिवीय) | वेतन मैट्रिक्स में लेवल -7 (44900-142400 रुपए) | चयन | <p>30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|--|
| <p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या इंस्ट्रुमेंटेशन तकनीक में डिग्री ;</p> <p>(ii) किसी सरकारी या निजी (मूर्चीबद्ध) संगठनों</p> | <p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षणिक अर्हताएं : नहीं</p> | <p>मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष</p> | <p>(i) 50 प्रतिशत प्रोत्तति द्वारा जिसके न हो मकने पर प्रनितियुक्ति द्वाग (जिमके अंतर्गत अल्पकालिक मंत्रिदा भी है) ;</p> |

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| <p>से स्वचालित मापन और नियंत्रण करने, स्ट्रेन गेज चलाने, साउंड और वाईब्रेशन उपकरणों के चलाने और इलैक्ट्रानिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों को लगाने की निपुणता और रखरखाव का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> | | | (ii) 5प्रतिशत 0 मीथी भर्ती द्वाग |
|--|--|--|----------------------------------|

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| <p>प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35400-112400/- रु.) में ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (इंस्ट्रुमेंटेशन) जिन्होंने उस लेवल में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्र से स्वचालित मापन और नियंत्रण करने, स्ट्रेन गेज चलाने, साउंड और वाईब्रेशन उपकरणों के चलाने और इलैक्ट्रानिक्स और इलैक्ट्रिकल उपकरणों को लगाने की निपुणता और रखरखाव का 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</p> | <p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 4. निदेशक, कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य <p>पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य | <p>सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति जिसके अंतर्गत) कालिक संविदा भी अल्प (हैकरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -6 (35400-112400/- रु.) में उस लेवल में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उम्र धेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।</p> <p>टिप्पण - 1: पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण - 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | <p>विभाग - सदस्य</p> <p>4. निदेशक, कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य</p> | |
|---|---|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|---|---|--|------------|--|
| <p>7. कृषि इंजीनियर</p> <p>*कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (मुख्यालय) में तैनात होने पर पदधारी को महायक इंजीनियर (एस एंड टी के पद पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।</p> | <p>16* (2016)</p> <p>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p> | <p>साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, (अनुसूचिवीय)</p> | <p>वेतन मैट्रिक्स में लेवल -7</p> <p>(44900-142400 रुपए)</p> | <p>चयन</p> | <p>30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो अनाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | नगालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |
|--|--|--|--|--|--|

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|--|---|---|
| <p>आवश्यक :</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या मैकेनिकल इंजीनियरी में डिग्री ;</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिपदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या स्वैच्छिक संगठनों से कृषि उपकरणों के परीक्षण या मूल्यांकन में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>(iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिपदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों से ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों या मशीनरी के प्रचालन या रखरखाव के अनुभव सहित अध्यापन या प्रशिक्षक का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</p> <p>बांछनीय :</p> <p>यांत्रिक कृषि प्रणाली पर एक वर्ष का प्रायोगिक अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं),</p> | <p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षणिक योग्यता : नहीं</p> | <p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष</p> | <p>(i) 60 प्रतिशत प्रोन्तति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ;</p> <p>(ii) 40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| उन कारणों के लिए जो लेखवद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | | | |
|--|--|--|--|

| (11) | (12) | (13) |
|--|--|--|
| <p>प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35400-112400/- रु.) में ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी महायक जिन्होंने 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और कृषि मशीनरी के परीक्षण या विकास, ट्रैक्टरों और कृषि यंत्रों या मशीनरी के प्रचालन या रखरखाव का 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनमें ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिपदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -6 (35400-112400/- रु.) में उम लेवल में</p> | <p>समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 4. निदेशक, कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्था - सदस्य <p>समूह ख विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 4. निदेशक, कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य | <p>जब किसी अधिकारी की सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करनी हो उस समय संघ लोक सेवा आयोग में परामर्श करना आवश्यक है द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।</p> |

| | |
|--|--|
| <p>नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उम्र श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) जिनके पाम स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।</p> <p>टिप्पण - 1 पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण - 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिमके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिमके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उमी या किमी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किमी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिमके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | |
|--|--|

[मिनिस्त्र सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशामन)(पार्ट VII)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2017

G.S.R. 6(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the,-

- (1) Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Group 'A' and Group 'B' (Gazetted) Technical posts Recruitment Rules, 2015; and
- (2) Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Senior Instrumentation Engineer (Group 'A' Technical post) Recruitment Rules, 2016;

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' and Group 'B' (Gazetted) Technical posts in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Group 'A' and Group 'B' (Gazetted) Technical posts Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. – The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
5. Disqualification. – No person-
- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post |
|--|--|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Director * * On posting at DAC and FW [Hq], the incumbent will be designated as Deputy Commissioner (M and T). | 6* (2017) *Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial. | Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) | Selection |

| Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------|--|
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | (i) 50% by promotion failing which by deputation including short-term contract. (ii) 50% by deputation including short-term contract. |

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made

(11)

Promotion:

Senior Agricultural Engineer and Senior Instrumentation Engineer in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix with five years' regular service in the level and have successfully completed four weeks' training in the field of operation or repair and maintenance or design development, production, training and testing of agricultural equipments and machines, including tractors in the Indian Council of Agricultural Research or in the State Agricultural Universities or in any Krishi Vigyan Kendra.

Note 1 : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective level or post.

Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (Including short-term contract):

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-government or autonomous bodies or statutory organisations :

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with five years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

Essential:

- (i) Post Graduate Degree in Agricultural Engineering or Mechanical Engineering from a recognised University or institute; and
(ii) Ten years' experience in the field of operation or repair and maintenance or design development or testing of agricultural equipments and machines, including tractors from any Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations.

Note 1: The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. |
|---|--|
| (12) | (13) |
| <p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission : Chairman;</p> <p>(2) Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member;</p> <p>(3) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division). : Member.</p> | <p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).</p> |

| | |
|--|--|
| Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare | |
|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----------------------------------|---|--|---|-----------|--|
| 2. Senior Agricultural Engineer * | 13* (2017) * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial. | Level-II in the pay matrix (Rs. 67700-208700) | Selection | Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|--|---|
| <p>Essential:</p> <p>(i) Degree in Agricultural Engineering or Mechanical Engineering from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) Five years' experience in operation and maintenance of tractors, agricultural machinery and allied equipments including teaching experience in any Government or private listed organisation;</p> <p>or</p> <p>Five years' experience in handling independently testing and evaluation of farm machinery and agricultural implements in any Government or private listed organisation.</p> <p>Desirable:</p> <p>Post Graduate Degree in Agricultural Engineering from a recognised University or Institute.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing</p> | <p>Age : No</p> <p>Educational qualification : Yes.</p> | <p>One year for direct recruits and promotees.</p> | <p>(i) 40% by promotion:</p> <p>(ii) 60% by deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.</p> |

the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(11)

Promotion:-

Test Engineers in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with five years' regular service in the level, and Agricultural Engineer in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with seven years' regular service in the level and have successfully completed four weeks of training in operation, maintenance, repair, training and testing of tractors, agricultural machinery and allied equipments from Indian Council of Agricultural Research or State Agricultural Universities or Krishi Vigyan Kendras.

Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective level or post.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract) :

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutes or councils or semi-government or autonomous bodies or statutory organisations:

- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 (ii) with five years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
 (iii) with seven years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
 (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)

(13)

Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:

- (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission : Chairman;
 (2) Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member;
 (3) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member;
 (4) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member.

Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:

- (1) Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division). : Chairman;

| | |
|--|--|
| Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare | |
| (2) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department : Member; of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare | |
| (3) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology : Member. Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------------------------------------|---|--|--|-----------|----------------|
| 3. Senior Instrumentation Engineer | 01* (2017). * Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial | Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) | Selection | Not applicable |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | By promotion |

| (11) |
|--|
| Promotion: Instrumentation Engineer in level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with five years' regular service in the level. Note 1 : Provided that the eligibility service in respect of persons holding the feeder grade post i.e. Agricultural Engineer (Instrumentation) on regular basis on the date of notification of the revised rules, shall continue to be the same as provided in the previous notified rules of 2001. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. |

| (12) | (13) |
|---|--|
| Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), : Chairman; Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (2) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), : Member; Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (3) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology : Member. Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary . |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------------------------------|---|--|---|-----------|
| 4. Instrumentation Engineer. | 3* (2017). * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial. | Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) | Selection |

82

| (6) |
|---|
| Not exceeding 35 years. |
| (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) |
| Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). |

| (7) |
|--|
| Essential: |
| (A) (i) Degree in Electronics Engineering or Instrumentation Engineering from a recognised university or institution. |
| (ii) Three years' experience in handling independently installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, experience in handling strain gauge, sound and vibration equipment etc. from Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognized research institutions or councils or semi-government or autonomous or statutory organisations. |
| Or |
| (B) (i) Masters' degree in Electronics Engineering or Instrumentation Engineering from a recognised university or institute; |
| (ii) One year experience in handling independently installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, experience in handling strain gauge, sound and vibration equipment, etc., from Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognized research institutions or Councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations. |
| Desirable: |
| One year experience in instrumentation for testing of IC Engines and exhaust emission measurement system. |
| Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. |
| Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |

| (8) | (9) | (10) |
|---|--|---|
| Age:- No. Educational Qualifications: Yes. | Two years for direct recruits and promotees. | (i) 50% by promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment; (ii) 50% by direct recruitment. |

| (11) |
|---|
| Promotion: |
| Agricultural Engineer (Instrumentation) in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with three years' regular service in the level. |
| Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed |

their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract) :

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations :

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with three years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

| (12) | (13) |
|--|---|
| <p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission : Chairman;</p> <p>(2) Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member;</p> <p>(3) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member;</p> <p>(4) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Chairman;</p> <p>(2) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member;</p> <p>(3) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member.</p> | <p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.</p> |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------------------|--|--|---|----------------|
| 5. Test Engineer | 1* (2017) * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial. | Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) | Not applicable |

| (6) | (7) |
|--|---|
| <p>Not exceeding 35 years.</p> <p>(Relaxable for government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> | <p>Essential:</p> <p>(1) Degree in Agricultural Engineering of a recognised university.</p> <p>(2) Three years' experience in testing and evaluation of agricultural machinery from any Government organisation or university or private listed organisation.</p> <p>Desirable:</p> <p>Two years' practical experience of mechanised farming practices.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable, for the reasons to be recorded in writing, at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> |

| (8) | (9) | (10) |
|----------------|----------|---|
| Not applicable | One year | <p>By direct recruitment.</p> <p>Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central Government or State governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-government or autonomous or statutory organisations:-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis; or</p> <p>(ii) with two years' regular service in posts in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent; or</p> <p>(iii) with three years' regular service in posts in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent; and</p> <p>(b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> |

| (11) | (12) | (13) |
|----------------|---|---|
| Not applicable | <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Chairman;</p> <p>(2) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member;</p> <p>(3) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member.</p> | <p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.</p> |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|--|--|--|-----------|--|
| 6. Agricultural Engineer (Instrumentation) | 2* (2017) * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial. | Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) | Selection | Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|--|--------------------------------|--|
| Essential: (1) Degree in Electronics Engineering or Instrumentation Technology from a recognised university or institute. (2) Two years' experience in the installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, experience in handling strain gauge, sound and vibration equipment etc. from any government or private (listed) organisations. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | Age : No. Educational qualifications: No. | Two years for direct recruits. | (i) 50% by promotion failing which by deputation (including short term contract); (ii) 50% by direct recruitment. |

| (11) |
|--|
| Promotion: Senior Technical Assistant (Instrumentation) in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years' regular service in the level and have successfully completed four weeks' training in installation, calibration and maintenance of electronics and electrical instruments for automatic measurement and controls, handling strain gauge, sound and vibration equipment from Indian Council of Agricultural Research or State Agricultural Universities or Krishi Vigyan Kendras. |

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract):

Officers under the Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
 (ii) with five years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix in the parent cadre or department; and
 (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

| (12) | (13) |
|---|--|
| <p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Chairman;</p> <p>(2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p> | <p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short term contract).</p> |
| <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Chairman;</p> <p>(2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p> | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|---|--|--|-----------|
| 7. Agricultural Engineer * *On posting at DAC and FW (Hq), the incumbent will be designated as Assistant Engineer (M and T) | 16* (2017) * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial. | Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) | Selection |

| (6) | (7) |
|---|--|
| Not exceeding 30 years. (Relaxable upto five years for Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangti sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. | Essential: (i) Degree in Agricultural Engineering or Mechanical Engineering of a recognised University. (ii) Two years' experience in testing and evaluation of agricultural machinery from Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations. or (iii) Two years' experience of teaching or as a trainer, including experience in operation or maintenance of tractors and agricultural implements or machinery. the experience sought is to be from Central Government or state governments or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations. Desirable: One year practical experience of mechanised farming practices. Note 1: Qualifications are relaxable, for reasons to be recorded in writing, at the discretion of the Union Public Service Commission, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable, for the reasons to be recorded in writing, at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |

| (8) | (9) | (10) |
|---|--------------------------------|--|
| Age: No Educational qualifications : No. | Two years for direct recruits. | (i) 60% by promotion failing which by deputation including short term contract; (ii) 40% by deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment. |

| (11) |
|---|
| Promotion: Senior Technical Assistant with five years' regular service in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix and have successfully completed four weeks' training in testing or development of agricultural machinery, operation or maintenance of tractors and agricultural implements or machinery. Note : Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than |

half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contact):

Officers under the Central Government or state government or union territory administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with five years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix in the parent cadre or department; and
(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short term contact) including period of deputation (including short term contact) in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contact) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

| (12) | (13) |
|--|---|
| Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- | Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short term contract). |
| (1) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Chairman; | |
| (2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; | |
| (3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; | |
| (4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. | |
| Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- | |
| (1) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Chairman; | |
| (2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; | |
| (3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; | |
| (4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. | |

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) (Pt VII)]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2019.01.15
19:16:36 +05'30'

(40)

5

•



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]

नई दिल्ली, बुधस्पतिवार, अप्रैल 19, 2018/चैत्र 29, 1940

No. 256]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 19, 2018/CHAITRA 29, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 384(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'ख' (अराजपत्रित) तकनीकी पद भर्ती नियम, 2015, को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण में पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में समूह 'ख' (अराजपत्रित) तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'ख' (अराजपत्रित) तकनीकी पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपावद्ध अनुमूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुमूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुमूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिम्मे ऐसे व्यक्ति में जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिम्मे अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावन, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुमूचित जातियों, अनुमूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिकम में स्तर | चयन या अचयन पद |
|-------------------------|--|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. ज्येष्ठ तकनीकी महायक | 21* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसूचिकीय | वेतन मैट्रिकम में स्तर-6 (35400-112400 रुपए) | चयन |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | |
|--|--|
| (6) | |
| 30 वर्ष से अधिक नहीं | |
| टिप्पण 1 : (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) | |
| टिप्पण 2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) | |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|--|--|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| बनिवार्य : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मंत्रालय से कृषि इंजिनियरिंग या मैकेनिकल इंजिनियरिंग में डिग्री टिप्पण : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या नक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। | आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता : नहीं | सीधी भर्ती किए गए एवं प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष | (i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ; (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा |

| | |
|--|--|
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा | |
| (11) | |
| <p>प्रोन्नति : ऐसे तकनीकी सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक में स्तर-5 (29200-92300/- रु.) में उस स्तर में 6 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से परीक्षण टैकटों और कृषि यंत्रों या मशीनरी के प्रचालन या रखरखाव का 2 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष में, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिचीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक में स्तर-5 (29200-92300/- रु.) या समतुल्य में उस स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 6 वर्ष नियमित सेवा की हो;</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।</p> <p>टिप्पण 1 : पांपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | |

| | |
|--|---|
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
| (12) | (13) |
| <p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <p>1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष</p> <p>2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</p> <p>3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <p>1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष</p> <p>2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</p> <p>3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य</p> | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------------------------------|--|---|---|----------------|
| 2. ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (उपकरण) | 03* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसूचित | वेतन मैट्रिक में स्तर-6 (35400-112400 रुपए) | लागू नहीं होता |

| |
|--|
| (6) |
| 30 वर्ष से अधिक नहीं |
| टिप्पण : केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार नगरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक थिथिल की जा सकती है। |

टिप्पण 2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

| (7) | (8) | (9) |
|--|----------------|--------|
| अनिवार्य : (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स या उपकरण प्रौद्योगिकी में डिग्री या (ख) (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स या उपकरण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (ii) सरकारी विभाग या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या स्वायत्त संगठन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में स्वचालित मापन और नियंत्रण करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को स्थापित और संचालित करके, व्यास मापन और रखरखाव का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी (अर्हताएं), कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | लागू नहीं होता | 2 वर्ष |

| (10) | (11) |
|---|----------------|
| सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा। (क) (i) जो किसी मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29200-92300/- रु.) या समतुल्य में उम स्तर में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 6 वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पाम स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। | लागू नहीं होता |

| (12) | (13) |
|---|---|
| विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----------------------|--|--|---|----------------|
| 3. नक्थानवीम ध्रेणी I | 01* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अगजपवित, अननुसचिरीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रुपए) | लागू नहीं होता |

| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष | मिथित पद्धति द्वारा। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) एवं प्रोन्नति |

| (11) |
|--|
| <p>मिथित पद्धति : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति :</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त और कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/- रु.) या समतुल्य में उम स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 6 वर्ष नियमित सेवा की हो;</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात् -</p> <p>जिन्होंने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नक्शानवीश (यांत्रिकी) में डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ हो;</p> <p>किमी संगठन से इस क्षेत्र में 7 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हुआ हो।</p> <p>टिप्पण 1 : ऐसे विभागीय नक्शानवीश श्रेणी II जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300/- रु.) स्तर में 6 वर्ष नियमित सेवा की हो, पर भी प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पर पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा। प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> |

| (12) | (13) |
|----------------|---|
| लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

[फा. सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशासन)(पार्ट VI)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

G.S.R. 384(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Group 'B' (Non-Gazetted) Technical posts Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' (Non-Gazetted) Technical posts in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Group 'B' (Non-Gazetted) Technical posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Senior - Technical Assistant | 21* (2018) * Subject to variation dependent on workload | General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Non-ministerial | Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) | Selection |

| Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|--|---|--|--|
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not exceeding 30 years. Note 1: Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | Essential : Degree in Agricultural Engineering or Mechanical Engineering from a recognized University or Institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. | Age- No Educational Qualification: No | Two years for direct recruits and promotees. | (i) 50 percent by promotion failing which by deputation; (ii) 50 percent by direct recruitment |

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made

(11)

Promotion :

Technical Assistant in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix with six years regular service in the level and have successfully completed two weeks of training in testing, operation or maintenance of tractors and agricultural implements or machinery from the Indian Council of Agricultural Research or Agricultural University or Krishi Vigyan Kendra.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation :

The officers under the Central Government or State Government or Union territory administrations:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with six years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
(b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. |
|--|---|
| (12) | (13) |
| <p>Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :-</p> <p>(1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;</p> <p>(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p> <p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;</p> <p>(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p> | <p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p> |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|---|---|---|----------------|
| 2. Senior Technical Assistant (Instrumentation). | 03* (2018) * Subject to variation dependent on workload. | General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Non-ministerial. | Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400). | Not applicable |

| (6) | (7) |
|--|---|
| <p>Not exceeding 30 years.</p> <p>Note 1: Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> | <p>Essential:-</p> <p>(A). Degree in Electronics or Instrumentation Technology from a recognised University or institute.</p> <p>Or</p> <p>(B) (I) Diploma in Electronics or Instrumentation Technology from a recognised University or institute.</p> <p>(II) Two years experience in operation, installation, calibration and maintenance of electronic instruments for automatic measurement and control in a Government department or Public Sector undertaking or in a University or autonomous organisation or in a recognised research institution.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> |

| (8) | (9) | (10) |
|-----------------|------------|--|
| Not applicable. | Two years. | <p>By Direct Recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation from officers under the Central Government:-</p> <p>(a) (i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years regular service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualification and experience prescribe for direct recruits under column (7).</p> |

| (11) | (12) | (13) |
|----------------|--|--|
| Not applicable | <p>Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;</p> <p>(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p> | <p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p> |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------------------------|--|---|---|----------------|
| 3. Draughtsman Grade I | <p>01* (2018)</p> <p>* Subject to variation dependent on workload.</p> | General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400). | Not applicable |

(49) 48

| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Two years for promotees | By composite method. Deputation (including short term contract) plus promotion. |

| (11) | (12) | (13) |
|--|----------------|---|
| <p>Composite method: Deputation (Including Short Term Contract) or Promotion :</p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or Recognized Research Institutions or councils or Semi-Government or Autonomous or Statutory organizations :</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :- (i) Diploma in Draughtsmanship (Mechanical) from a recognized University or Institute; (ii) Seven years practical experience in the line in an organisation.</p> <p>Note 1 : The Departmental Draughtsman Grade II in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix with six years regular service in the level will also be considered along with deputationists and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. Deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 : Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> | Not applicable | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) (Pt VI)]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

RAKESH
SUKULDigitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2018.04.19 22:37:54
+05'30'

(50)





भारत का राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY

II— — (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

PUBLISHED BY AUTHORITY

877]

No. 877]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 2017/KARTIKA 2, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 1329(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, तकनीकी, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, तकनीकी, समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में समूह 'ग' तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, तकनीकी, समूह 'ग' पदों भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदत्त होंगे।

2. लागू होना: ये नियम इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उसमें संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वास्तव, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य गियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद |
|-----------------|--|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. तकनीकी सहायक | 19* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अनुसूचिविध) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29200-92300 रुपए) | चयन |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|--|--|---|--|
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग | मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कृषि इंजीनियरी में डिप्लोमा के साथ सुसंगत क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव | आयु ; नहीं शैक्षिक अर्हताएं ; नहीं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष | (i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| द्वारा नहीं की जाती, वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी। | | | | |
|--|--|--|--|--|

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी मंजूरी | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| <p>प्रोन्नति:- ऐसे ज्येष्ठ तकनीशियन जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100/- रु.) में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> | <p>समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष - सदस्य <p>समूह ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष - सदस्य | लागू नहीं होता |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------------------------|---|---|--|----------------|
| 2. नक्शानवीश श्रेणी II | 1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29200-92300 रुपए) | लागू नहीं होता |

| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|----------------|--|---|
| 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भाग में अभ्यर्थियों में | मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय में नक्शानवीश (मैकेनिकल) में डिप्लोमा के साथ मुसंगत क्षेत्र में पांच वर्ष के अनुभव | लागू नहीं होता | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई गिनतियां केन्द्रीय या राज्य सरकारों |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण 2:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।)</p> | | | | <p>या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी मंडलों या पब्लिक मैक्टर उपक्रम या अर्ध सरकारी मंडलों के अधिकारियों, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पाम स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों, की जा सकेंगी।</p> |
|--|--|--|--|--|

| (11) | (12) | (13) |
|----------------|--|----------------|
| लागू नहीं होता | <p>समूह ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष अवर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष - सदस्य | लागू नहीं होता |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------------|---|---|---|----------------|
| 3. कृषि सहायक | <p>04* (2017)</p> <p>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p> | <p>साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसूचित)</p> | <p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500-81100 रुपए)</p> | लागू नहीं होता |

| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|--|----------------|---------|--|
| <p>18 से 27 वर्ष के बीच</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,</p> | <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कृषि में बैचलर डिग्री</p> | लागू नहीं होता | दो वर्ष | <p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी मंडलों या पब्लिक मैक्टर उपक्रम या अर्ध सरकारी मंडलों के अधिकारियों, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं</p> |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) | | | | और जिनके पाम स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों, की जा सकेंगी। |
| टिप्पण 2:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)। | | | | |

| (11) | (12) | (13) |
|----------------|---|----------------|
| लागू नहीं होता | समूह ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष - सदस्य | लागू नहीं होता |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------------------|--|---|--|----------------|
| 4. ज्येष्ठ तकनीशियन | 50* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अनुसूचिवीय) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500-81100 रुपए) | लागू नहीं होता |

| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|----------------|---|--|
| 18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी समय-समय पर किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2:- आयु सीमा अवधारित करने के | (क) (i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से मैकेनिक कृषि मशीनरी या मैकेनिक मोटर यान या मैकेनिक ट्रैक्टर या मैकेनिक डीजल इंजन या इलैक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रमाण पत्र ; (ii) ट्रैक्टर या भारी परिवहन यान या भारी मिट्टी हटाने वाले उपकरण के प्रचालन अथवा रखरखाव या विद्युत रखरखाव में पांच वर्ष का अनुभव ; और (ख) हल्के और भारी यान तथा ट्रैक्टर के चालन की बैच चालन अनुज्ञप्ति रखना हो। | लागू नहीं होता | सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के दो वर्ष | (i) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; (ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा |

(56)

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)। | | | | |
|---|--|--|--|--|

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|----------------|
| <p>प्रोन्नति:- ऐसे तकनीशियन जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19900-63200/- रु.) में उम श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> | <p>समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष - सदस्य <p>समूह ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष - सदस्य | लागू नहीं होता |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------------|--|---|--|----------------|
| 5. तकनीशियन | 21* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19900-63200 रुपए) | लागू नहीं होता |

| (6) |
|--|
| <p>18 से 27 वर्ष के बीच</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण 2:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।</p> |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|--|--|--|
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से इलैक्ट्रीकल ट्रेड या डीजल मैकेनिक ट्रेड या मोटर मैकेनिक ट्रेड या ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड में प्रमाण पत्र के साथ उपरोक्त वर्णित ट्रेडों में से किसी में भी तीन वर्ष का अनुभव तथा यानों व ट्रैक्टरों के चालन तथा रखरखाव में प्रवीणता होनी चाहिए तथा हल्के और भारी कार्य यानों व ट्रैक्टरों के लिए वैद्य चालन अनुज्ञप्ति रखते हो; या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से इलैक्ट्रीकल या इलैक्ट्रानिक या उपकरण मैकेनिक में प्रमाण पत्र के साथ आटो विद्युत या उपकरणों या इलैक्ट्रानिक रखरखाव में तीन वर्ष का अनुभव। | आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता : हां | मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | (i) 33.33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; (ii) 66.67 प्रतिशत मीधी भर्ती द्वारा |

| (11) | (12) | (13) |
|---|--|----------------|
| <p>प्रोन्नति:- ऐसे बहुकार्य कर्मचारीवृंद (तकनीकी) और बहुकार्य कर्मचारीवृंद (गैर-तकनीकी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 1 (18000-56900/- रु.) में उम श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो, जो स्तंभ 7 में वर्णित मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण 1- प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित स्तर या पद पर विहित अर्हक सेवा पूरी होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p> <p>टिप्पण 2- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके स्पष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> | <p>समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष अवर सचिव (यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष - सदस्य <p>समूह ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष अवर सचिव ((यंत्रिकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष - सदस्य | लागू नहीं होता |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----------------------------------|--|---|--|----------------|
| 6. बहुकार्य कर्मचारीवृंद (तकनीकी) | 15* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अनुसूचिकीय) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 1 (18000-56900 रुपए) | लागू नहीं होता |

| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|--|----------------|---|---|
| 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 40 वर्ष) | (i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से ट्रैक्टर मैकेनिक या फार्म मैकेनिक या डीजल मैकेनिक में | लागू नहीं होता | मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो | मीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों |

| | | | |
|---|--|------|---|
| तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो अमम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।) | प्रमाण पत्र ; और (ii) ट्रेक्टरों के लिए वैद्य चालन अनुज्ञप्ति रखते हो | वर्ष | में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय या राज्य सरकारों या मंत्र राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक मैक्टर उपक्रम या अर्ध सरकारी संगठनों के अधिकारियों, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पाम स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों, की जा सकेंगी। |
|---|--|------|---|

| (11) | (12) | (13) |
|----------------|---|----------------|
| लागू नहीं होता | समूह ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष - सदस्य | लागू नहीं होता |

[मिसिल सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशासन)(पार्टIX)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2017

G.S.R. 1329(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2014, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' technical posts in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**– The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification**– No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post |
|------------------------|--|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Technical Assistant | 19* (2017) * Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) | Selection |

| Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|--|---|---|---------------------------------|--|
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in | Diploma in Agricultural Engineering from a recognized Institute or University with five years experience in the relevant field. | Age – No Educational qualifications – No | Two years' for direct recruits. | (i) 50% by promotion; ii) 50% by direct recruitment. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | | | | |
| Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications). | | | | |

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made

(11)

Promotion:

Senior Technicians in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with five years' regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. |
|--|---|
| (12) | (13) |
| Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. | Not applicable. |
| Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------------------------|---|---|--|----------------|
| 2. Draughtsman Grade II | 1* (2017) * Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) | Not applicable |

(6)

Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)

Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|--|-----------------|---------------------------------|--|-----------------|
| Diploma in Draughtsmanship (Mechanical) from a recognized Institute or University with five years' experience in the relevant field. | Not applicable. | Two years' for direct recruits. | By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation basis from officers of Central Government or State Governments or State Government or Union territory administrations or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or semi-government organizations holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). | Not applicable. |

| (12) | (13) |
|--|-----------------|
| Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------------------------|---|---|---|----------------|
| 3. Agricultural Assistant | 4* (2017) * Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) | Not applicable |

(6)

Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)

Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

62

| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|--|-----------------|------------|---|-----------------|
| Bachelor's Degree in Agriculture from a recognized University. | Not applicable. | Two years' | By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation basis from officers of Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or semi-government organizations holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). | Not applicable. |

| (12) | (13) |
|--|-----------------|
| Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|----------------------|--|---|---|-----------------|
| 4. Senior Technician | 50* (2017) * Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) | Not applicable. |

| (6) |
|--|
| Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications). |

| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|--|-----------------|---------------------------------|--|--|
| (A) (i) Industrial Training Institute (ITI) Certificate in Mechanic Agricultural Machinery or Mechanic Motor Vehicle or Mechanic Tractor or Mechanic | Not applicable. | Two years' for direct recruits. | (i) 25% by promotion; (ii) 75% by direct recruitment. | Promotion: Technicians in level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix with eight years' regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Diesel Engine or Electrician trade; (ii) five years experience in operation and maintenance of tractor or heavy transport vehicle or heavy earthmoving equipments or electrical maintenance; and (B) Possessing valid driving licence of light and heavy duty vehicle and tractor. | | | | eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. |
|--|--|--|--|--|

| (12) | (13) |
|---|-----------------|
| Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. | Not applicable. |
| Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------------|--|---|---|----------------|
| 5. Technician | 21* (2017) * Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) | Not applicable |

| (6) |
|--|
| Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications). |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|--|---------------------------------|--|
| (i) Industrial Training Institute (ITI) Certificate in Electrical trade or Diesel Mechanic trade or Motor Mechanic trade or Tractor Mechanic trade with three years experience in any of the trades mentioned above and proficiency in driving and maintenance of vehicles and tractors and should possess a valid driving licence for light and heavy duty vehicles and tractors; or | Age: No Educational Qualification : Yes | Two years' for direct recruits. | (i) 33.33% by promotion; (ii) 66.67% by direct recruitment. |

(ii) Industrial Training Institute (ITI) Certificate in Electrical or Electronic or Instrument Mechanic with three years experience in auto electrical or instruments or electronics maintenance.

(11)

Promotion:

Multi-Tasking Staff (Technical) and Multi-Tasking Staff (Non-Technical) in level-I (Rs. 18000-56900) in the pay matrix with three years' regular service in the grade possessing the educational qualification and experience as prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective level or post.

Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

| (12) | (13) |
|--|-----------------|
| Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. | Not applicable. |
| Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------------------------------------|--|---|---|----------------|
| 6. Multi-Tasking Staff (Technical) | 15* (2017) * Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level-I in the pay matrix (Rs. 18000-56900) | Not applicable |

(6)

Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)

Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|--|-----------------|---------------------------------|--|-----------------|
| (i) Industrial Training Institute (ITI) Certificate in Tractor Mechanic or Farm Mechanic or Diesel Mechanic; and | Not applicable. | Two years' for direct recruits. | by direct recruitment. | Not applicable. |
| (ii) Possessing valid driving licence of tractor. | | | Note: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | transfer on deputation basis from officers of Central Government possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). | |
|--|--|--|--|--|

| (12) | (13) |
|--|-----------------|
| Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. | Not applicable. |

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) (Pt. IX)]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

(66)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2018/श्रावण 23, 1940

No. 570]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2018/SHRAVANA 23, 1940

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 774(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान तकनीकी, समूह ग भर्ती नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षा संस्थान, तकनीकी समूह ग पद भर्ती (संस्थान) नियम, 2018 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षा संस्थान, तकनीकी समूह ग पद भर्ती नियम, 2017 की अनुसूची में
(क) कॉलम (7) के तहत प्रविष्टियों के बाद वरिष्ठ तकनीशियन के पद के संबंधित क्रम संख्या 4 में निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जाएगा अर्थात्
"टिप्पणी; जिम विशेष ट्रेड में वरिष्ठ तकनीशियन की भर्ती अपेक्षित है, उसका उल्लेख भर्ती के समय किया जाएगा"
(ख) कॉलम (7) के तहत प्रविष्टियों के बाद तकनीशियन के पद सं. संबंधित क्रम संख्या 5 में निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जाएगा अर्थात्

"टिप्पणी: जिम विशेष ट्रेड में तकनीशियन की भर्ती अपेक्षित है, उसका उल्लेख भर्ती के समय किया जाएगा"

[फा.सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशामन) (पीटी. IX)]

अश्विनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम, भारत के राजपत्र के भाग-II खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 के जी.एम.आर. 1329(अ) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2018

G.S.R. 774(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2017, -
 - (a) against serial No. 4 relating to the post of Senior Technician, after the entries under column (7), the following Note shall be inserted, namely:-

"Note: the particular trade in which a Senior Technician is required to be recruited shall be specified at the time of recruitment." ;
 - (b) against serial No. 5 relating to the post of Technician, after the entries under column (7), the following Note shall be inserted, namely:-

"Note: the particular trade in which a Technician is required to be recruited shall be specified at the time of recruitment." ;

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) (Pt. IX)]

ASHWANI KUMAR, Jr. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1329(E), dated 10th October, 2017.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1049]

नई दिल्ली, रविवार, दिसम्बर 31, 2017/पौष 10, 1939

No. 1049]

NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 31, 2017/PAUSHA 10, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1612(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और और कृषि मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (समूह 'क' और 'ख' राजभाषा पद), भर्ती नियम, 2017, को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में राजभाषा से संबंधित समूह 'क' और 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग : फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, (समूह 'क' और 'ख' राजभाषा पद), भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों में उपावद्ध अनुमूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उक्त वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों में उपावद्ध अनुमूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उमर में संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुमूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिमने ऐसे व्यक्ति में जिमका पति या जिमकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिमने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति में विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उम व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुमूचित जातियों, अनुमूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के जलए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद |
|-------------------|---|---|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. कनिष्ठ अनुवादक | 2* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रुपए) | लागू नहीं होता |

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा

(6)

30 वर्ष से अधिक नहीं।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिझिम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलेतथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

(7)

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में हिंदी में अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में मान्यता डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर

का हो, के रूप में मास्टर डिग्री।

या

किन्हीं मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, हिंदी माध्यम में और अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में किन्हीं भी विषय में मास्टर डिग्री।

या

किन्हीं मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, अंग्रेजी माध्यम में और हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में किन्हीं भी विषय में मास्टर डिग्री।

या

किन्हीं मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, हिंदी और अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा अनिवार्य या ऐच्छिक विषय डिग्री स्तर का हो, के रूप में किन्हीं भी विषय में मास्टर डिग्री;

और

हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद आदि का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम या केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय जिसमें भारत सरकार के उपक्रम भी शामिल हैं, में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के कार्य में 2 वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों को लेखबद्ध करके कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुमोचित जातियों और अनुमोचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन प्रक्रिया के समय मंच कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
|--|-------------------------------|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : किन्हीं पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश लेने या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत अवकाश लेने पर रिक्तियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा। (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, और (ख) जो कॉलम (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों। | लागू नहीं होता |

| | |
|--|---|
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में कितन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग में परामर्श किया जाएगा |
| (12) | (13) |
| समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) | संघ लोक सेवा आयोग में परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |
| 1. संबंधित परिपद के निदेशक - अध्यक्ष | |
| 2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य | |
| 3. प्रशासनिक अधिकारी या परिपद कार्यालय के प्रमुख - सदस्य | |
| 4. प्रभाग या अनुभाग के प्रमुख - सदस्य | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------------------------------|---|---|--|-----|---|
| 2. महायुक्त निदेशक (राजभाषा) | 1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अनुसूचित विधायक) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56100-167800 रुपए) | चयन | 35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|----------------|----------------|-----------------------------------|--|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए वर्ष 2 | प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) |

| (11) |
|---|
| <p>प्रोन्नति :- कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400/- रु. में उस स्तर में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी पत्रिका की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> |

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या कानूनी और स्वायत्त निकायों के अधीन अधिकारी -

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर— 8 (47600-151100/- उम स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उम स्तर में 2 वर्ष नियमित सेवा की हो ;

(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/- रु.) या समतुल्य में उम स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उम श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो ;

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात् -

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, हिंदी माध्यम में और अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में किसी भी विषय में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, अंग्रेजी माध्यम में और हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में किसी भी विषय में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न, हिंदी और अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा अनिवार्य या ऐच्छिक विषय डिग्री स्तर का हो, के रूप में किसी भी विषय में मास्टर डिग्री;

(ii) हिंदी में उपयोग या लागू की जाने वाली पारिभाषिकी शब्दावली (पारिभाषिक शब्दावली कार्य) और अंग्रेजी में हिंदी या विपर्ययेन अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव जिसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्यों का अधिमानता दी जाएगी ;

या

केंद्रीय या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षण या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान में 3 वर्ष का अनुभव।

बांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर संविधान के आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी भाषा से भिन्न किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो।

टिप्पण : पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की गीथी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि (प्रतिनियुक्ति की अवधि महित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उमी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

| (12) | (13) |
|--|---|
| समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : | प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |
| 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष | |
| 2. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य | |
| 3. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य | |

[फा. सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशामन)(पार्ट—IV)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2017

G.S.R. 1612(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute (Group 'A' and Group 'B' Official Language posts) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' and Group 'B' posts relating to Official Languages in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute (Group 'A' and Group 'B' Official Language posts) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. Disqualification.— No person-
- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post |
|----------------------|--|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Junior Translator | 2* (2017) * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) | Not applicable |

| Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|--|--|
| (6) | (7) |
| Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or order issued by the Central Government from time to time). | Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective |
| <i>Note:</i> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State. | |

| | |
|---|--|
| Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | <p>subject at degree level;</p> <p>and</p> <p>Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two year's experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government Office, including Government of India Undertakings.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> |
|---|--|

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made |
|---|-----------------------------|---|--|
| (8) | (9) | (10) | (11) |
| Not applicable | Two years | <p>By direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> | Not applicable |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. |
|--|---|
| (12) | (13) |
| <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee [for considering confirmation] :-</p> <p>(1) Director of the Institute concerned - Chairman;</p> <p>(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(3) Administrative Officer or Head of the Office of the Institute - Member;</p> <p>(4) Head of the Division or Section - Member.</p> | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|--|
| 2. Assistant Director (Official | 1* (2017). *Subject to | General Central Service. | Level-10 in the pay matrix | Selection | Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or order |

| | | | | |
|------------|----------------------------------|---|---------------------------|--|
| Language). | variation dependent on workload. | Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial. | (Rs. 56100- 167800) | issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). |
|------------|----------------------------------|---|---------------------------|--|

| | | | |
|----------------|----------------|-------------------------|--|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Two years for promotees | By promotion, failing which by deputation (including short term contract). |

(11)

Promotion :

Junior Translator in level-6 (Rs. 35400-112400). in the pay matrix with eight years' regular service in the level.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract):

Officers from the Central or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Statutory and Autonomous bodies:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with two years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
 - (iii) with three years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-
 - (i) Masters' degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

or

 Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

or

 Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

or

 Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

or

 Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level.
 - (ii) Three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central or State Governments or Autonomous Bodies or Statutory organizations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions;

or

 Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory organisations or Public Service Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.

78

Desirable:

Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule to the Constitution at 10th level from a recognised board.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

| (12) | (13) |
|--|---|
| <p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Chairman or Member of the Union Public Service Commission : Chairman;</p> <p>(2) Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member;</p> <p>(3) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare : Member.</p> | <p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.</p> |

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) (Pt IV)]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2018.01.08 20:28:45
+05'30'



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2018/पौष 13, 1939

No. 4]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2018/PAUSHA 13, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 5 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, प्रशासनिक अधिकारी और सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी समूह 'ख' (राजपत्रित) गैर-तकनीकी पद भर्ती नियम, 2015, को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में प्रशासनिक अधिकारी और सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, प्रशासनिक अधिकारी और सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी समूह 'ख' (राजपत्रित) गैर-तकनीकी पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदत्त होंगे।

2. **लागू होना:** ये नियम इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि:** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उसमें संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) में (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उम्र व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाचन, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिकम में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|----------------------|---|--|---|----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. प्रशासनिक अधिकारी | 3* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, (अनुसूचिवीय) | वेतन मैट्रिकम में स्तर - 7 (44900-142400 रुपए) | चयन | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|--|---|-------------------------------|--|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में मंघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|--|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| प्रोन्नति:- ऐसे कार्यालय अधीक्षक और आशुलिपिक श्रेणी-1 जिन्होंने वेतन मैट्रिकम में स्तर -6 (35400-112400/- रु.) में उम्र स्तर में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और प्रशामन, स्थापना और लेखा कार्य के क्षेत्र में 2 मण्डल का | समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं | मंघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

| | |
|--|---|
| <p>प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण 1 - संबंधित धेणी अथवा पद में विहित अर्हता सेवा वाले अधिकारियों द्वारा पूरा किए जाने की तारीख के संबंध में प्रोन्नति हेतु पात्रता सूची तैयार की जाएगी।</p> <p>टिप्पण 2 - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर धेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-6 (35400-112400/- रु.) या समतुल्य में उस स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस स्तर में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो;</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात् -</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री;</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से लेखे, प्रशासन, स्थापना कार्य क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण - 1: पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण - 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है माधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | <p>तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष</p> <p>2. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</p> <p>3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</p> <p>4. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य</p> |
|--|---|

(82)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|--|---|---|-----|--|
| 2. महायक पुस्तकालय और मूचना अधिकारी | 1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ब', राजपत्रित, (अननुमचिवीय) | वेतन मैट्रिकम में स्तर - 7 (44900-142400 रुपए) | चयन | 30 वर्ष में अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों में आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|--|---|-----------------------------|---|
| अनिवार्य - (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और मूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री ; (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी या स्वायत्त संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में 2 वर्ष | आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और मूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। | सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकते पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों स्थितियों में न होने पर सीधी भर्ती द्वारा |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>का वृत्तिक अनुभव। वांछनीय - (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों को लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन प्रक्रिया के समय संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> | | | |
|--|--|--|--|

| (11) | (12) | (13) |
|--|---|--|
| <p>(iii) प्रोन्नति: ऐसे पुस्तकालय और सूचना सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400/- रु.) में उस स्तर में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम त हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों महित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त</p> | <p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 4. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य</p> <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, सहकारिता और किसान</p> | <p>भर्ती करनी हो उस समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर -6 (35400-112400/- रु.) या समतुल्य के उस स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस स्तर में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो;</p> <p>और</p> <p>(ख) जिनके पाम स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।</p> <p>टिप्पण - 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण - 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | <p>कल्याण विभाग - मदस्य</p> <p>3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी), कृषि, महकागिता और किसान कल्याण विभाग - मदस्य</p> <p>4. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - मदस्य</p> | |
|--|--|--|

[मिसिल सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशासन) (पार्ट-III)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2017

G.S.R. 5 (E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Administrative Officer and Assistant Library and Information Officer Group 'B' (Gazetted) Non-Technical Posts Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Administrative Officer and Assistant Library and Information Officer in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Administrative Officer and Assistant Library and Information Officer Group 'B' (Gazetted) Non-Technical Posts Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**— The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post | Age- limit for direct recruits |
|---------------------------|--|---|--|--|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Administrative Officer | 3* (2017) * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial. | Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) | Selection | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|-----------------------------|--|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | By promotion failing which by deputation. |

| In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| Promotion: Office Superintendent and Stenographer Grade I in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the level and successfully completed training of | Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Joint Secretary - Chairman: (Mechanisation) | Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary. |

| | | |
|--|---|--|
| <p>two weeks in the field of administration, establishment and accounts.</p> <p>Note 1: Eligibility list for Upper Division Clerk and Senior Hindi Typist for promotion shall be prepared with respect to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective level or post.</p> <p>Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation : Officers under the Central Government or State Government or Union territory Administration:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years, service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experiences, namely:- (i) Degree of a recognised University or Institute; (ii) Two years experience in accounts, administration, establishment work in Central Government or State Government or Union territory Administration.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 : Period of deputation including the period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> | <p>and Technology), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (2) Director or - Member; Deputy Secretary (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (3) Additional - Member; Commissioner (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (4) Director, Farm - Member. Machinery Training and Testing Institute</p> | |
|--|---|--|

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|--|
| 2. Assistant Library and Information Officer. | 1* (2017) * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial. | Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) | Selection | Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). |
|---|--|--|--|-----------|--|

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|--------------------------------|--|
| Essential: (i) Bachelors degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or institute; (ii) Two years professional experience in a library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational institution. Desirable: (i) Masters degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or institute; (ii) Diploma in Computer application from a recognised University or institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Unpin Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualifications | Age : No Educational qualification: But must possess Bachelor's degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or institute. | Two years for direct recruits. | By promotion failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | | | |
|---|--|--|--|

| (11) | (12) | (13) |
|--|--|---|
| <p>Promotion: Library and Information Assistant in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the level and successfully completed training of two to four weeks in the field of Library and Information Science.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administration or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations:</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience for direct recruits as mentioned in column (7).</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly,</p> | <p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Joint Secretary - Chairman; (Mechanisation and Technology). Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare</p> <p>(2) Director or Deputy Secretary - Member; (Mechanisation and Technology). Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare</p> <p>(3) Additional Commissioner - Member; (Mechanisation and Technology). Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare</p> <p>(4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Joint Secretary - Chairman; (Mechanisation and Technology). Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare</p> <p>(2) Director or Deputy Secretary - Member; (Mechanisation and Technology). Department of Agriculture.</p> | <p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.</p> |

89

| | | |
|--|--|--|
| <p>deputationist shall be not eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including the period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> | <p>(3) Cooperation and Farmers Welfare Additional Commissioner (Mechanisation and Technology), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p> | |
|--|--|--|

[F. No. 13-I/2016-M&T (Admn.) – Pt .III]

ASHWANI KUMAR, Jr. Secy.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2018.01.09 12:31:45
+05'30'

(90)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1048]

नई दिल्ली, रविवार, दिसम्बर 31, 2017/पौष 10, 1939

No. 1048]

NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 31, 2017/PAUSHA 10, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1611(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'ख' (अराजपत्रित) गैर-तकनीकी, पद भर्ती नियम, 2015, को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, समूह 'ख' (अराजपत्रित) गैर तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान समूह 'ख' (अराजपत्रित) गैर-तकनीकी पदों भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ के स्तंभ (5) में स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट है।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद |
|---------------------|---|---|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. कार्यालय अधीक्षक | 8* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ब', अराजपत्रित, (अनुसूचिवीय) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रुपये) | चयन |

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|--|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष | प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा |

| |
|---|
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
| (11) |
| प्रोन्नति :- ऐसे लेखाकार जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200 92300/- रु.) में छह वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके न हो सकने पर ऐसे लेखाकार जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200 92300/- रु.) में लेखाकार के रूप में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और उच्च श्रेणी |

लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में छह वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसके न हो सकने पर ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।

या

ऐसे ज्येष्ठ हिंदी टंकक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में उस स्तर में दस वर्ष नियमित सेवा की है और भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में स्थापना या लेखे कार्य में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पण 1- उच्च श्रेणी लिपिक तथा ज्येष्ठ हिंदी टंकक के लिए पात्रता सूची संबंधित स्तर या पद में विहित अर्हक सेवा अधिकारियों द्वारा पूरा किए जाने की तारीख के संबंध में प्रोन्नति हेतु के लिए तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी -

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-5 (29200-92300/- रु.) या समतुल्य में उस स्तर में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस स्तर में छह वर्ष नियमित सेवा की है;

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) या समतुल्य में उस स्तर में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात् -

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी विद्या में डिग्री ;

(ii) प्रशासन और लेखा कार्य में एक वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

कंप्यूटर अनुप्रयोग, डाटा प्रोसेसिंग और नेट वर्किंग का एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 - पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उमी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |
| 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान -अध्यक्ष | |
| 2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, महकागना और किसान कल्याण विभाग -सदस्य | |
| 3. प्रशासनिक अधिकारी या फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के कार्यालय के अध्यक्ष -सदस्य | |

(94)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----------------------|---|---|---|-----|
| 2. आशुलिपिक श्रेणी -I | 5* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | माधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अगजपत्रित, (अनुमचिवीय) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रु.) | चयन |

| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|--|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | (i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक मंविदा भी है ; (ii) प्रतिशत 50 प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक मंविदा भी है) या आमेलन द्वारा |

| (11) |
|--|
| <p>प्रतिनियुक्ति : ऐसे आशुलिपिक श्रेणी -2 जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी या स्वैच्छिक निकायों या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जो आशुलिपिक के पद पर हैं -</p> <p>(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300/- रु.) या समतुल्य में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो ;</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/- रु.) या समतुल्य में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो ;</p> <p>टिप्पण 1 - पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उमी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है माधारणतया तीन वर्ष में अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष में अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण -4 केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी ही आमेलन के लिए पात्र होंगे।</p> |

| (12) | (13) |
|---|--|
| समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान -अध्यक्ष | संघ लोक सेवा आयोग में पदमार्ग करना आवश्यक नहीं है। |

| | |
|--|--------|
| 2. अवर सचिव मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग(, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग | -मदम्य |
| 3. प्रशासनिक अधिकारी या फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के कार्यालय के अध्यक्ष | -मदम्य |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----------------------------|---|---|---|----------------|
| 3. पुस्तकालय और सूचना सहायक | 2* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | माधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अनुसूचिकीय) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रुपए) | लागू नहीं होता |

| (6) | (7) | (8) |
|---|--|----------------|
| 30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए) शों के अनुसार सरकारी अनुदेशों या आदेशों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) | अनिवार्य - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री ; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में दो वर्ष का व्यवसायिक अनुभव। वांछनीय - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा मुअह्रित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखवद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों को लेखवद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन प्रक्रिया के समय संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | लागू नहीं होता |

| (9) | (10) | (11) |
|---------------------------|---|----------------|
| सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा ; टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उम्मी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है माधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को व 56वें से अधिक नहीं होगी। | लागू नहीं होता |

| (12) | (13) |
|--|--|
| समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : | सब लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |
| 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष | |
| 2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य | |
| 3. प्रशासनिक अधिकारी या फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के कार्यालय के अध्यक्ष - सदस्य | |

[मिगिल सं 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशासन)(पार्ट-II)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2017

G.S.R. 1611(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Group 'B' (Non-Gazetted) Non-Technical Posts Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' (Non-Gazetted) Non-Technical posts in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Group 'B' (Non-Gazetted) Non-Technical Posts Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.— No person-

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits |
|--------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I. Office Superintendent | 8* (2017) * Subject to variation on dependent workload. | General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial. | Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) | Selection. | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|-----------------------------|--|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Two years for promotees | By promotion, failing which by deputation. |

In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.

(11)

Promotion :

Accountant in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix with six years of regular service in the level failing which Accountant with ten years combined regular service as Accountant in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix and Upper Division Clerk in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix failing which Upper Division Clerk in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with ten years regular service in the level;

or

Senior Hindi Typist in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with ten years regular service in the level and have successfully completed two to four weeks' training in Establishment or Accounts in Central Government or State Government or Union Territory Administration.

Note 1: Eligibility list for Upper Division Clerk and Senior Hindi Typist for promotion shall be prepared with respect to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective level or post.

Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation :

Officers of Central Government or State Government or Union Territory Administration:

(A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with six years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; or

(iii) with ten years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 (25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;

and

(B) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

Essential :

(i) Degree in any discipline from a recognised University ;

(ii) One year experience in administration and accounts.

Desirable:

One year experience of Computer application, Data processing and Net Working.

98

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. |
|---|---|
| (12) | (13) |
| Group 'B' Departmental Promotion Committee [for considering promotion] consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Testing and Training Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of Office, Farm Machinery Testing and Training Institute - Member. | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------------------------|--|--|--|-----------|----------------|
| 2. Stenographer Grade I | 5* (2017) * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial. | Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) | Selection | Not applicable |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|----------------|----------------|-------------------------|---|
| Not applicable | Not applicable | Two years for promotees | (i) 50% by promotion, failing which by deputation including short term contract; (ii) 50% by deputation (including short term contract) or absorption. |

| (11) |
|--|
| <p>Promotion:</p> <p>Stenographers Grade II in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with ten years regular service in the level.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including short term contract) or Absorption:</p> <p>Officers holding the post of Stenographer under the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory organisations –</p> <p>(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with ten years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department.</p> |

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: Officers of only the Central Government or State Government or Union Territory Administration shall be eligible for absorption.

| (12) | (13) |
|---|---|
| Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |
| (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute | |
| (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare | |
| (3) Administrative Officer or Head of Office, Farm Machinery Training and Testing Institute | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------|
| 3. Library and Information Assistant. | 2* (2017) * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) | Not applicable |

| (6) | (7) |
|--|--|
| Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | Essential: (i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute; (ii) Two years professional experience in a Library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution. Desirable: Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |

| (8) | (9) | (10) | (11) |
|----------------|--------------------------------|--|-----------------|
| Not applicable | Two years for direct recruits. | By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7). (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall | Not applicable. |

| | | |
|--|--|--|
| | ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications). | |
|--|--|--|

| (12) | (13) |
|---|---|
| Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |
| (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman: | |
| (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member: | |
| (3) Administrative Officer or Head of the Office, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member: | |

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.)-pt II]

ASHWANI KUMAR, Jr. Secy.

RAKESH
SUKULDigitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2016.01.18 10:51:18 +05'30'



भारत का राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY

II— — (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

PUBLISHED BY AUTHORITY

45]

No. 45]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2018/MAGHA 5, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 62(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, गैर-तकनीकी समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में समूह 'ग' गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, समूह 'ग' गैर-तकनीकी पदों भर्ती नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना: ये नियम इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
- उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उम्र व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाचन, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुमूचित जातियों, अनुमूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद |
|---------------------|--|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. अवर श्रेणी लिपिक | 19* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19,900-63,200 रुपए) | अचयन |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|--|
| (6) |
| आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) |
| टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |
| टिप्पण 2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित होगी। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|--|-------------------------------|
| (7) | (8) | (9) |
| (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा पास (ii) केवल कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्दों के लिए 5 की डिप्रेशन की औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) | हां, स्तंभ (10) में उपदर्शित विस्तार तक | सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा |
|---|--|
| (10) | (11) |
| (i) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900/- रु.) में समूह 'ग' कर्मचारिवृंद में से और जिनके पास 12वीं कक्षा पास का प्रमाण पत्र हो और विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस स्तर में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो, उनमें से 10 प्रतिशत। परीक्षा पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम 50 वर्ष)। (टिप्पण-यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक में ऐसे कर्मचारी अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो पश्चातवर्ती वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरत समय कर्मचारियों की अधिक संख्या पर उन कर्मचारियों से जिन्होंने पश्चातवर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं से पहले पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले पर इस प्रकार विचार किया जाएगा। (iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900/- रु.) में समूह 'ग' कर्मचारी जिन्होंने पदों पर 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो, में से 5 प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-स्वस्थता आधार पर भरी जाएंगी। | प्रोन्नति : ऐसे बहुकार्य कर्मचारीवृंद (गैर तकनीकी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900/- रु.) में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : | लागू नहीं होता। |

| | |
|--|--|
| 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष | |
| 2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य | |
| 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य | |
| समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : | |
| 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष | |
| 2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य | |
| 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|----------------------|--|--|---|------|
| 2. उच्च श्रेणी लिपिक | 15* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25,500-81,100 रुपए) | अचयन |

| (6) |
|---|
| <p>आयु 18 से 27 वर्ष के बीच।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण 2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।)</p> |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|----------------|---------------------------|--|
| मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री | लागू नहीं होता | सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष | (i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा |

| (11) |
|---|
| <p>प्रोन्नति:-</p> <p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (1,900-63200/- रु.) में के.ए. अवर श्रेणी लिपिक और हिंदी टाइपिस्ट जिन्होंने उम श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> |

टिप्पण 1 : संबंधित श्रेणी अथवा पद में विहित अर्हता मेवा वाले अधिकारियों द्वारा पूरा किए जाने की तारीख के संबंध में प्रोन्नति हेतु पात्रता सूची तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष में, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

| (12) | (13) |
|---|-----------------|
| <p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य | लागू नहीं होता। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------------|---|---|--|------|
| 3. लेखाकार | 2* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अनुसूचित) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपए) | अचयन |

| (6) |
|---|
| <p>आयु 18 से 27 वर्ष के बीच।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण 2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।)</p> |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|----------------|---------------------------|---|
| <p>आवश्यक : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या शाखा में बैचलर डिग्री, अधिमानतः वाणिज्य में</p> <p>वांछनीय : 1. जिन्होंने नकदी और लेखा, स्थापना और प्रशासनिक कार्य में 5 वर्ष का अनुभव लिया हो ; 2. जिन्हें कंप्यूटर अनुप्रयोग, डाटा प्रोसेसिंग और नेट वर्किंग का ज्ञान हो।</p> | लागू नहीं होता | सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष | प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और दोनों हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा |

| (11) |
|--|
| <p>प्रोन्नति : उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.) में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति या आमेलन : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी -</p> <p>(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रु.) या समतुल्य में उस स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस स्तर में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1 : पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> |

| (12) | (13) |
|---|-----------------|
| <p>ममूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <p>1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष</p> <p>2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, महकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</p> <p>3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य</p> <p>ममूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <p>1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष</p> <p>2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, महकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</p> <p>3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य</p> | लागू नहीं होता। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----------------------|---|--|---|----------------|
| 4. आशुलिपिक श्रेणी -2 | 5* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | माधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुमचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25,500-81,100 रुपए) | लागू नहीं होता |

| (6) |
|--|
| <p>आयु 18 से 27 वर्ष के बीच।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण 2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।</p> |

| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|--|----------------|---------|---|-----------------|
| <p>(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा पास</p> <p>(ii) कौशल परीक्षण सन्नियम :</p> <p>श्रुतलेख : 80 श.प्र.मि. की दर पर 10 मिनट</p> <p>अनुलिपिकरण : 50 मिनट (अंग्रेजी)/ 65 मिनट (हिंदी) (केवल कम्प्यूटर पर)</p> | लागू नहीं होता | दो वर्ष | <p>कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>टिप्पण: किसी पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश लेने या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत अवकाश लेने पर रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वैच्छिक या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या अर्ध सरकारी संगठनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा, जो स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों।</p> | लागू नहीं होता। |

| (12) | (13) |
|--|-----------------|
| <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष अवर मचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किमान कल्याण विभाग - सदस्य प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य | लागू नहीं होता। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------------|---|---|--|----------------|
| 5. कंपाउंडर | 3* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुमचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रुपए) | लागू नहीं होता |

| (6) |
|--|
| <p>आयु 18 से 27 वर्ष के बीच।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण 2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।</p> |

| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|----------------|--------|--|-----------------|
| <p>अनिवार्य :</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा पास</p> <p>(ii) मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से फार्मसी में डिप्लोमा</p> <p>वांछनीय :</p> <p>सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव</p> | लागू नहीं होता | 2 वर्ष | <p>(vi) सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>टिप्पण: किसी पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश लेने या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत अवकाश लेने पर रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा, जो स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।</p> | लागू नहीं होता। |

| (12) | (13) |
|--|-----------------|
| <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <p>1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष</p> <p>2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, महकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</p> <p>3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य</p> | लागू नहीं होता। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----------------------|---|--|---|------|
| 6. ज्येष्ठ हिंदी टंकक | 1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन मैट्रिक में स्तर -4 (25,500-81100 रुपए) | अचयन |

| (6) |
|---|
| <p>आयु 18 से 27 वर्ष के बीच।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण 2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।</p> |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|------------------------------------|--------------------------|--|
| <p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम डिग्री स्तर का हो, के रूप में किसी भी विषय में बैचलर डिग्री।</p> <p>(ii) हिंदी में न्यूनतम टंकक गति 30 शब्द प्रति मिनट (केवल कंप्यूटर पर)</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(i) हिंदी बोलने में धाराप्रवाहिता;</p> <p>(ii) जिन्हें कंप्यूटर अनुप्रयोग, डाटा प्रोसेसिंग और नेट वर्किंग का ज्ञान हो।</p> | आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां | सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष | प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा |

| (11) |
|---|
| <p>प्रोन्नति :</p> <p>वेतन मैट्रिक में स्तर - 2 (19,900-63200/- रु.) में के ऐसे हिंदी टंकक और अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उम स्तर में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो और स्तंभ (7) यथा उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों।</p> <p>टिप्पण 1 : संबंधित स्तर अथवा पद में विहित अर्हत सेवा वाले अधिकारियों द्वारा पूरा किए जाने की तारीख के संबंध में प्रोन्नति हेतु पात्रता सूची तैयार की जाएगी।</p> |

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी मंडलों के ऐसे अधिकारी :

- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19,900- 63,200/-रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1 : पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| (12) | (13) |
|---|-----------------|
| <p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग); कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य प्रशासनिक अधिकारी या फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के कार्यालय के अध्यक्ष - सदस्य | लागू नहीं होता। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------------|---|--|---|----------------|
| 7. हिंदी टंकक | 1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुमचित्रीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900-63,200 रुपए) | लागू नहीं होता |

(6)

आयु 18 से 27 वर्ष के बीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)।

| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|--|------------------------------------|---|---|
| आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास। (ii) हिंदी में न्यूनतम टंकक गति 30 शब्द प्रति मिनट (केवल कम्प्यूटर पर) | आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां | सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा | प्रोन्नति:- ऐसे बहुकार्य कर्मचारीवृंद (गैर-तकनीकी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1(18000-56900/- रु.) में मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र धारत करते हुए 3 वर्ष नियमित सेवा की हो। |

| (12) | (13) |
|--|-----------------|
| समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य | लागू नहीं होता। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|------------------------------------|--|--|----------------|
| 8. बहुकार्य कर्मचारीवृंद स्टाफ (गैर-तकनीकी) | 84* (2018) *कार्यभार के आधार पर | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रूपए) | लागू नहीं होता |

| | | | |
|---------------------------|--------------|--|--|
| परिवर्तन किया जा सकता है। | (अननुसचिवीय) | | |
|---------------------------|--------------|--|--|

| (6) |
|--|
| <p>आयु 18 से 25 वर्ष के बीच।</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण 2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।)</p> |

| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|--|-----------------|----------------|--|-----------------|
| किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता | सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: किसी पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश लेने या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत अवकाश लेने पर रिक्तियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा, जो स्तंभ (7) में वर्णित सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों। | लागू नहीं होता। |

| (12) | (13) |
|--|-----------------|
| <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - अध्यक्ष अवर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान - सदस्य | लागू नहीं होता। |

[फा. सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशासन)(पार्ट-I)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January. 2018

G.S.R. 62(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institute, Non-Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to

be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C', non-technical posts in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institute, Non-Technical, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**- The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**- No person-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post |
|-------------------------|--|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Lower Division Clerk | 19* (2018) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial. | Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) | Non-selection |

| Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees |
|--|---|---|
| (6) | (7) | (8) |
| Between 18-27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) | (i) 12 th Class pass from a recognised Board; (ii) a typing speed of 35 words per minute in | Yes, to the extent indicated in column (10). |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.</p> | <p>English or 30 words per minute in Hindi, only on Computers.</p> <p>(35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH / 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).</p> | |
|--|--|--|

| Period of probation, if any | Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---------------------------------|--|
| (9) | (10) |
| Two years' for direct recruits. | <p>(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission;</p> <p>(ii) 10% from amongst the Group 'C' staff in level-I (Rs. 18000-56900) in the pay matrix and who possess 12th Class pass certificate and have rendered three years' regular service in the level, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age-limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes);</p> <p>Note: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at later examination.</p> <p>(iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have rendered three years' regular service in posts in level-I (Rs. 18000-56900) in the pay matrix.</p> |

| In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| <p>Promotion: Multi-Tasking Staff (Non-Technical) with three years' regular service in level-I (Rs. 18000-56900) in the pay matrix and possessing matriculation certificate.</p> | <p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;</p> <p>(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(3) Administrative Officer or Head of Office of Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p> <p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman;</p> <p>(2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member;</p> <p>(3) Administrative Officer or Head of Office of Farm Machinery Training and Testing Institute - Member.</p> | Not applicable |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-------------------------|--|--|---|---------------|
| 2. Upper Division Clerk | 15* (2018) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial. | Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) | Non-selection |

| (6) |
|---|
| Between 18-27 years of age (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications). |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|----------------|--------------------------------|--|
| Bachelor's Degree from a recognised University. | Not applicable | Two years for direct recruits. | (i) 50% by promotion; (ii) 50% by direct recruitment. |

| (11) |
|--|
| Promotion: Lower Division Clerk and Hindi Typist in level-2 (19900-63200) in the pay matrix with eight years' regular service in the level. Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective level or post. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service |

| (12) | (13) |
|--|----------------|
| Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. | Not applicable |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------------|---|--|---|---------------|
| 3. Accountant | 2* (2018) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial. | Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) | Non-selection |

| (6) |
|---|
| Between 18-27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) |
| Note 1: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep) . |
| Note 2: The crucial date for determining the age- limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications.) |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|--|----------------|--------------------------------|--|
| Essential: Bachelor's Degree in any discipline from a recognised University, preferably with Commerce. Desirable: 1. Five years' of experience in handling cash and accounts, establishment and administration works; 2. Knowledge of computer application, data processing and net working. | Not applicable | Two years for direct recruits. | Promotion, failing which by deputation or absorption and failing both by direct recruitment. |

| (11) |
|---|
| Promotion: Upper Division Clerk having five years' regular service in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix. Deputation or absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory administrations: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age- limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. |

| (12) | (13) |
|--|----------------|
| Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. | Not applicable |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--------------------------|---|--|---|----------------|
| 4. Stenographer Grade II | 5* (2018) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial. | Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) | Not applicable |

| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|----------------|-----------|---|
| Between 18-27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. | (i) 12 th class pass from a recognised Board; (ii) Skill Test Norms: Dictation : 10 minutes @ 80 words per minute; Transcription: 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) (Only on Computer). | Not applicable | Two years | By direct recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Union territory administrations or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or semi-government organisations or universities or recognised research institutes, possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7). |

| (11) | (12) | (13) |
|----------------|---|----------------|
| Not applicable | Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. | Not applicable |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------------|---|--|---|----------------|
| 5. Compounder | 3* (2018) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) | Not applicable |

| (6) | (7) |
|--|---|
| Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | Essential : (i) 12 th Class pass from a recognised Board ; (ii) Diploma in Pharmacy from a recognised Institute or University. Desirable: Two years' experience in |

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).

| (8) | (9) | (10) | (11) |
|----------------|-----------|--|----------------|
| Not applicable | Two years | By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). | Not applicable |

| (12) | (13) |
|---|----------------|
| Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of the Office of the Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. | Not applicable |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|------------------------|--|--|---|---------------|
| 6. Senior Hindi Typist | 1* (2018) * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial. | Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) | Non-selection |

| (6) |
|--|
| Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications). |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|--|---------------------------------|---|
| Essential : (i) Bachelor's Degree from a recognised University in any subject with Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; (ii) minimum typing speed of 30 words per minute in Hindi (only on Computer) Desirable : (i) Fluency in Hindi; (ii) knowledge of computer application, data processing and networking. | Age : No. Educational Qualification: Yes. | Two years' for direct recruits. | By promotion, failing which by deputation and failing both by direct recruitment. |

| (11) |
|--|
| Promotion: Hindi Typist and Lower Division Clerk in level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix with eight years' regular service in the level and possessing educational qualification as mentioned in column (7). Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with respect to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective level or post. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such |

qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or Recognised Research Institutions or Councils or Semi- Government or Autonomous or Statutory Organisations;

- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with eight years' regular service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

| (12) | (13) |
|--|----------------|
| Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of Office of Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. | Not applicable |
| Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of Office of Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----------------|---|--|---|----------------|
| 7. Hindi Typist | 1* (2018) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial. | Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) | Not applicable |

| (6) | (7) |
|---|--|
| Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications). | Essential : (i) 12 th Class pass from a recognised Board; (ii) minimum typing speed 30 words per minute in Hindi (only on Computer). |

| (8) | (9) | (10) | (11) |
|-----|-----|------|------|
|-----|-----|------|------|

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|---|
| Age : No. | Two years for direct recruits. | By promotion, failing which by direct recruitment. | Promotion : Multi-Tasking Staff (Non Technical) having three years regular service in Level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix possessing matriculation certificate. |
| Educational Qualification : Yes. | | | |

| (12) | (13) |
|--|----------------|
| Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of Office of Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; (3) Administrative Officer or Head of Office of Farm Machinery Training and Testing Institute - Member. | Not applicable |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|--|--|---|----------------|
| 8. Multi-Tasking Staff (Non-Technical) | 84 * (2018) * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) | Not applicable |

| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|--|----------------|-----------|---|
| Between 18 and 25 years of age (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission, (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications). | Matriculation pass from a recognised Board | Not applicable | Two years | By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7). |

| (11) | (12) | (13) |
|------|------|------|
|------|------|------|

| Not applicable | Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- | Not applicable |
|----------------|---|----------------|
| | (1) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Chairman; | |
| | (2) Under Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member; | |
| | (3) Administrative officer or Head of the office of Farm Machinery Training and Testing Institute - Member, | |

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) (Pt. I)]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

ALOK
KUMAR

Digitally signed
by ALOK KUMAR
Date: 2018.02.01
12:44:47 +05:30